



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236099
CG-DL-E-28052022-236099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2282]
No. 2282]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2404(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3320(अ), दिनांकित 13 अक्टूबर, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

“नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 136 (आथुर – पेरांबलुर खंड)”

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 3320(अ), दिनांकित 13 अक्टूबर, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 1593(अ), दिनांकित 04 मार्च, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2404(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the 3532 GI/2022

(1)

notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3320(E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, the following entries in respect of the State of Tamil Nadu shall be omitted:-

“New National Highway No. 136 (Athoor- Perambalur Section)”

[F. No. NH- 14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director,

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 3320(E), dated the 13th October, 2017 and was last amended vide number S.O. 1593 (E), dated the 4th March, 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2405(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1018(अ), दिनांकित 28 मार्च, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रमशः कॉलम संख्या (1), (2) और (3) के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थात्:-

49वि.	मदुरै – थेनी – तमि. / केरला. सीमा (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 36.00 से किमी 64.00 किमी 80.00 से किमी 96.00
-------	---	--

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पणः मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1018(अ), दिनांकित 28 मार्च, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2405(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1018(E), dated the 28th March, 2017, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

49 Extn	Madurai-Theni-TN/KL border (In the state of Tamil Nadu)	Km 36.00 to Km 64.00 Km 80.00 to Km 96.00
---------	--	--

[F. No. NH-14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1018(E), dated the 28th March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2406(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांकित 24 जनवरी, 2019 में

प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 383 (अ), दिनांकित 24 जनवरी, 2019 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2406(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 383(E), dated the 24th January, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 24th January, 2019, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2407(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूपी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित सारणी के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज (3)
नई रारा-332ए	ममल्लापुरम – पुदुच्चेरी (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 0.000 से 107.938 (डिजाइन चैनेज) (रारा-332ए के मौजूदा चैनेज किमी 52.900 से रारा-332 के मौजूदा चैनेज किमी 20.800 तक)
नई रारा-332 और नई रारा-32 (पुराना रारा-45ए) का भाग	विल्लुपुरम-पुदुच्चेरी – कुड्डालोर – चिदंबरम – करईकुल (पुदुच्चेरी) – नागापटिनम के निकट रारा-38 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर (तमिलनाडु राज्य में)	किमी 0.000 से किमी 179.555 (डिजाइन चैनेज)

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2407(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

National Highways No (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
New NH-332A	Mamallapuram- Puducherry (In the State of Tamil Nadu)	Km 0.000 to 107.938 (Design Chainage) (Existing Chainage Km 52.900 of NH-332A to Existing Chainage Km 20.800 of NH-332)
New NH-332 and part of New NH-32 (Old NH-45A)	Starting from its junction with NH-38 near Villupuram- Puducherry- Cuddalore- Chidambaram- Karaikul (Puducherry)- Nagapatinam (In the State of Tamil Nadu)	Km 0.000 to 179.555 (Design Chainage)

[F. No. NH-14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2408(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"22.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (नई रारा सं. 544) किमी (141/0 से आरंभ होने वाला और किमी 171.200 पर पुनः मिलने वाला कोयंबटूर बाइपास), सं. 49 (नई रारा सं. 87 और 85), [किमी 5.000 से 118.795 किमी] तक (मदुरै - परमाकुडी - रामनाथपुरम खंड), सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [किमी 0.000 से किमी 218.200] (नागापटिनम - तंजावूर - त्रिची - करूर खंड) और [किमी 323.850 से किमी 380.000 (कंगायमपलयम - मेत्तूपलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 207 (नई रारा सं. 648), सं. 208 (नई रारा सं. 744) [किमी 163.000 से किमी 231.600 (तिरुमंगलम - राजापलयम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 209 (नई रारा सं. 83) [किमी 0.000 से किमी 35.822 (कमलापुर - ओडुनचतरम खंड) और किमी 29.000 से किमी 74.380 (ओडुनचतरम - मदाथुकुलम खंड) और किमी 74.380 से किमी 116.950 (मदाथुकुलम - पोल्लाची खंड) और किमी 23.230 से किमी 30.900 (ओडुनचतरम बाइपास) और किमी 123.550 से किमी 150.400 (पोल्लाची - कोयंबटूर खंड) तक खंड को छोड़कर], नई रारा सं. 179ए, सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 10.000 से किमी 174.000 (त्रिची - करईकुडी - देवाकुट्टई - रास्ता - करईकुडी - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 219 (नई रारा सं. 42), नई रारा सं. 136, सं. 230 (नई रारा सं. 85), सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38), सं. 381, नई रारा सं. 381ए, नई रारा सं. 381बी, नई रारा सं. 383 (डिंडीगुल - नाथम -	तमिलनाडु राज्य सरकार

	कोट्टमपट्टी खंड), नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--	--

[फा.सं. एनएच-14013/10/2022-पी ऐंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन सं. का.आ. 2366(अ), दिनांकित 23 मई, 2022 द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2408(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“22	So much of National Highway No. 47 (new NH No. 544) (Coimbatore bypass commencing from Km 141/0 and rejoining at Km 171.200), No.49 (New NH No. 87 and 85) [excluding from Km. 5.000 to Km. 118.795] (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section), No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding from Km. 0.000 to Km. 218.200] (Nagapatinam-Thanjavur-Trichy-Karur section) and [excluding from Km 323.850 to km 380.000 (Kangayampalayam- Mettupalayam section)], No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744) [excluding from Km 163.000 to Km 231.600 (Thirumangalam-Rajapalayam Section)], No. 209 (New NH No. 83) [excluding from Km. 0.000 to Km 35.822 (Kamalapuram - Oddanchatram section) and from Km. 29.000 to Km 74.380 (Oddanchatram - Madathukulam section) and from Km 74.380 to Km 116.950 (Madathukulam – Pollachi section) and from Km. 23.230 to Km 30.900 (Oddanchatram Bypass) and from Km 123.550 to Km 150.400 (PollachiCoimbatore Section)], New NH No. 179A , No. 210 (New NH No. 336 and 536) [excluding from km. 10.000 to km. 174.000 (Trichy- Karaikudi- Devakottai- Rastha-Karaikudi- Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), New NH No. 136 , No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38), No. 381, New NH No. 381A , New NH No. 381B, New NH No. 383 (Dindigul –Natham –Kottampatty section), new NH No. 532 new as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu”

[F. No. NH- 14013/10/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note:-The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2366 (E), dated the 23rd May, 2022.